कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
क्षेत्रीय कार्यालय, पंचदीप भवन, जवाहरलाल नेहरु मार्ग, पटना-800001
फ़ोन न. 0612-2521928, fax no. 0612-2533314, ईमेल : rd-bihar@esic.in
Website : www.esic.nic.in, www.esicbihar.in

ई - निविदा

संख्या: 42-डी-27/22/कार हायरिंग/2011/2013/सामान्य/भाग-III   दिनांक: 10/05/2018

क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पंचदीप भवन, पटना, बिहार द्वारा मासिक आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए ड्राईवर सहित दो स्टाफ कार आपूर्ति के लिए सक्षम केन्द्रों / एजेंसियों / उद्यमियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित है| कमर्शियल रजिस्ट्रेशन-युक्त वाहन हीं स्टाफ कार के रूप में रखे जायेंगे|

निविदाकर्ताओं के लिए निर्देश: -

1. निविदादाता "क.रा.बी.निगम खाता सं.1" के नाम से डिमांड ड्राफ्ट द्वारा रु.8500/- की राशि ई.एम.डी. (बयाना-जमा) के रूप में अवश्य जमा करें तथा यह डिमांड ड्राफ्ट आवेदन के साथ संलग्न हो|
2. यह संविदा आरंभिक रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी किन्तु संतोषजनक कार्य होने पर आपसी सहमति से अधिकतम दो वर्षों तक बढाई जा सकेगी तथा यह क.रा.बी.निगम, मुख्यालय के निर्देशों के अधीन होगी| क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के पास एक माह की पूर्व-सूचना पर एक वर्ष की समाप्ति के पहले भी संविदा समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा| चुने गए निविदादाता को क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के साथ एकरारनामा पर हस्ताक्षर करना होगा|
3. चुने गए निविदादाता को आकलित निविदा के मूल्य के 5% के बराबर राशि एक वर्ष के लिए संविदा पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर सुरक्षा राशि (security deposit) को जमा करना होगा अन्यथा प्रत्येक बिल से 10% की राशि सुरक्षा-जमा के रूप में काट ली जाएगी| संविदा के संतोषपूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद यह राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी|
4. चुने गए निविदादाता को इस आशय के अनंतिम पत्र (provisional letter) जारी होने के 10 दिनों के अन्दर गाड़ी को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा| अंतिम निर्णय गाड़ी के निरीक्षण के बाद लिया जाएगा|
5. निविदादाता के पास वैध पैन (PAN) / टैन (TAN)/ जी.एस.टी.(GST) संख्या होना चाहिए तथा निविदा दस्तावेज के साथ इसे संलग्न किया जाना चाहिए| सरकार को देय आयकर तथा अन्य कर निविदाकर्ता को नियमानुसार प्रचलित दर पर प्रति माह देय अन्य होल्डिंग चार्जेज से काटी जायेगी| जी.एस.टी. भुगतान के साक्ष्य, बिल के साथ देने पर उसका भुगतान भी मासिक कार किराया के अतिरिक्त किया जाएगा|

6. निविदाकर्ता को सभी श्रम नियमों (यथा EPF, ESI इत्यादि) तथा व्यक्तियों के रोजगार शर्त, काम के घंटे, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, बोनस व अन्य समान प्रकार के लाभों संबंधी अन्य सांविधिक प्रावधानों का पालन करना होगा|
7. निविदाकर्ता के कार्मिकों/स्टाफ को क.रा.बी.निगम, क्षेत्रीय कार्यालय के नियमानुसार सख्त अनुशासन में रहना होगा तथा हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखनी होगी और उस पर किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नहीं हो|
8. संविदा के निष्पादन नहीं होने के कारण, गुणवत्ता की कमी के कारण निष्पादन में त्रुटि, समय पर निष्पादन नहीं होना या इसी प्रकार की अन्य त्रुटियों के कारण क.रा.बी.निगम की कोई क्षति निविदाकर्ता से वसूल की जायेगी तथा यह संविदा समाप्ति / सुरक्षा-जमा राशि की जब्ती के लिए उत्तरदायी होगा|

विशेष शर्तें: -

1. स्टाफ कार का वैध टैक्सी परमिट होना चाहिए तथा यह नवीनतम (latest) मॉडल 2017 का होना चाहिए| नवीनतम मॉडल की गाड़ी को प्राथमिकता दी जाएगी|
   दो गाड़ियों में प्रथम गाडी -इन्नोवा / स्कार्पियो / सफारी या इसके समकक्ष (SUV) होना चाहिए| द्वीतीय गाडी - होन्डा अमेज़ / इन्डिगो ई.सी.एस. या इसके समकक्ष (Car) होना चाहिए|
2. ड्राईवर के पास मोबाइल फोन हो तथा वह हर समय फ़ोन पर उपलब्ध हो| निर्धारित अवधि के बाद भी कॉल नहीं उठाना, अस्वीकार करना, संविदा समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा|
3. क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी.निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को सही मामलों में किसी भी स्थिति की छूट देने का अधिकार होगा|
4. ड्राईवर को साफ एवं इस्तरी किया सफ़ेद, खाकी या नीला यूनिफार्म तथा सफारी व टोपी पहननी होगी एवं **ESIC E-पहचान कार्ड** रखना होगा| उसपर किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए|
5. (I) गाड़ी के निर्धारित मासिक चार्ज में, अन्य चार्ज सहित गाड़ी का किराया, ड्राईवर की मजदूरी व अन्य सभी आकस्मिक चार्ज शामिल होंगे| क्षेत्रीय कार्यालय तय मासिक चार्ज के अतिरिक्त अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करेगा| प्रत्येक गाड़ी की सामान्य मासिक परिचालन की सीमा 1200 (एक हजार दो सौ) किलोमीटर तक होगी|
   (II) जिस महीने गाड़ी मासिक सीमा 1200 कि.मी. से अधिक चलेगी, उस माह ज्यादा चले दूरी के लिए प्रति कि.मी. रु.16/- (सोलह) मात्र के दर से राशि दिए जायेंगे|
   (III) गाड़ी का परिचालन पूरे बिहार झारखण्ड राज्य में किया जाएगा|
   (IV) यदि गाड़ी रात्रि में पटना के अलावा किसी अन्य शहर / स्थान पर कार्य के दौरान रूकती है तो उसके लिए चालक को प्रति रात्रि भत्ता रु.250/- (दो सौ पचास) मात्र दिया जाएगा|
6. ड्राईवर की मजदूरी (स्वीकार्य भत्तों के साथ) का वहन निविदादाता के द्वारा किया जाएगा| निविदादाता द्वारा दिया गया ड्राईवर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कर्मचारी नहीं होगा| वह निगम से किसी भी प्रकार की राशि यथा मजदूरी, भत्ते, बोनस, ग्रैच्युटी या छटनी-क्षतिपूर्ति आदि का हकदार नहीं होगा| यह सुनिश्चित किया जाए कि ड्राईवर को वर्तमान न्यूनतम राशि का भुगतान सभी श्रम कानून के अनुसार किया जा रहा है|
7. उपयोग के दौरान गाड़ी को किसी प्रकार की क्षति के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम उत्तरदायी नहीं होगा|
8. किसी टूट-फूट या गाड़ी की आपूर्ति नहीं करने पर होनेवाली हानि या कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किए है खर्च की वसूली निविदादाता से की जाएगी|

9. गाड़ी रविवार व सार्वजनिक अवकाश/छुट्टी के दिन को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 9.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक उपलब्ध कराई जाए| रविवार एवं छुट्टी के दिनों में कार्य के लिए अलग से सिर्फ दैनिक ड्राईवर-भत्ता रु.250/- (दो सौ पचास) मात्र प्रतिदिन की राशि दी जाएगी|

10. दूरी की गणना क्षेत्रीय कार्यालय परिसर से शुरू होकर वापस क्षेत्रीय कार्यालय परिसर तक ही की जाएगी|

11. गाड़ी के लिए दिए गए ड्राईवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तथा उसके पास आर.टी.ए. द्वारा अपेक्षित प्रमाण-पत्र भी होना चाहिए (यथा लाइसेंस, बीमा, प्रदूषण, आर.सी./पथ कर, टैक्सी लाइसेंस इत्यादि)|
12. प्रत्येक-माह प्रथम 1200 कि.मी. की दूरी पर कोई अतिरिक्त खर्च ऊपर-उल्लिखित के अलावा नहीं दिया जाएगा| प्रथम 1200 कि.मी. प्रतिमाह तक की दूरी का खर्च रिटेनर-फी में शामिल होगा|
13. किसी भी कारण संविदा पर दी गई गाड़ी/ड्राईवर अथवा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अन्य किसी गाड़ी/ड्राईवर को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालय अपनी व्यवस्था करेगा व ऐसी व्यवस्था पर हुए खर्च को संवेदक (निविदादाता) से वसूल किया जाएगा|
14. कार्य की अवधि के दौरान गाड़ी को क.रा.बी.निगम द्वारा उपयोग किया जाएगा|
15. **निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 05.06.2018 को अपराहन 3.00 बजे तक है| तथा निविदा उसी दिन अपराहन 4.00 बजे खोली जाएगी| निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि अगर चाहे तो इस प्रक्रिया में उपस्थित हो सकते हैं|**

क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को किसी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा| चुने गए निविदादाता को क्षेत्रीय निदेशक के साथ निविद्योल्लिखित-कार्य की शुरुआत से पूर्व निविदा की सभी नियमों व शर्तों के साथ एकरारनामा पर हस्ताक्षर करना होगा|

क्षेत्रीय निदेशक
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

Important Instructions for Bidders regarding online Payment

All bidders/contractors are required to procure Class-IIIB Digital Signature Certificate (DSC) with Both DSC Components i.e. Signing & Encryption to participate in the E-Tenders.

Bidder should get registered at https://esictenders.eproc.in.

Bidders should add the below mentioned sites under Internet Explorer-tools-Internet Options-Security-Trusted sites-Sites of Internet Explorer:

https://esictenders.eproc.in

https://www.tpsl-india.in

https://www4.ipg-online.com

Also, Bidders need to select "Use TLS1.1 and Use TLS1.2" under Internet Explorer-Tools-Internet Options-Advanced Tab-Security.

Bidder needs to submit Bid Processing Fee charges of Rs.2495/- (non-refundable) in favour of M/s. C1 India Pvt. Ltd., payable at New Delhi via Online Payment modes such as Debit Card, Credit Card or Net Banking for participating in the Tender.

Note: Bid processing fee will be approved only after the receipt of payment.

Bidders can contact our Helpdesk at https://esictenders.eproc.in/html/Support.asp